

मानव भूगोल के मूल सिद्धांत

कक्षा 12



12098

© NCERT
not to be republished

मानव भूगोल के मूल सिद्धांत

कक्षा 12



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

फ़रवरी 2007 फाल्गुन 1928

पुनर्मुद्रण

अक्टूबर 2007, फ़रवरी 2009

जनवरी 2010, दिसंबर 2010

मार्च 2013, जनवरी 2014

दिसंबर 2015, फ़रवरी 2017

फ़रवरी 2018, जनवरी 2019

जनवरी 2020, जनवरी 2021

दिसंबर 2021

संशोधित संस्करण

अक्टूबर 2022 अश्विन 1944

पुनर्मुद्रण

मार्च 2024 चैत्र 1946

दिसंबर 2024 अग्रहायण 1946

PD 10T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007, 2022

₹ 60.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा गोयल ऑफसेट वर्क्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 370-371, 374-375, फेज-ट, सेक्टर-56, कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

न.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फोर्ट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशकरी III इस्टेज

बैंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनित्टी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी): जहान लाल

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

संपादक : रेखा अग्रवाल

सहायक उत्पादन सहायक : दीपक कुमार

कार्टोग्राफी

आवरण एवं सज्जा

कार्टोग्राफिक

जोएल गिल

डिजाइन एजेंसी

चित्रांकन

अनिल शर्मा, वरूनी सिन्हा

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञा दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर एम. एच. कुरैशी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006



© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है —

- एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
- एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना;
- कठिनाई स्तर;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।



© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

एम.एच. कुरैशी, प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

सदस्य

अनिन्दिता दत्ता, लेक्चरर, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

अनुप सेकिया, रीडर, गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी

अशोक दिवाकर, लेक्चरर, गवर्नमेंट पी. जी. कॉलेज, गुड़गाँव

ओडिल्या कोटिनहो, रीडर, आर. पी. डी. कॉलेज, बेलगाम

एन. आर. दाश, रीडर, एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, वडोदरा

एन. कार, रीडर, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर

एन. नागाभूषणम, प्रोफेसर, एस. वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति

एस. जहीन आलम, लेक्चरर, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

रंजना जसूजा, पी. जी. टी., आर्मी पब्लिक स्कूल, धौलाकुआँ, नयी दिल्ली

स्वागता बासु, लेक्चरर, एस. एस. वी. (पी. जी.) कॉलेज, हापुड़

हिंदी अनुवाद

अशोक दिवाकर, लेक्चरर, गवर्नमेंट पी. जी. कॉलेज, गुड़गाँव

निसार अहमद शेख प्राचार्य (सेवानिवृत्त), महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय, राजस्थान

मनीषा त्रिपाठी, लेक्चरर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

सदस्य-समन्वयक

तनु मलिक, लेक्चरर, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, इस पुस्तक के विकास में सहयोग देने हेतु रूपा दास, पी.जी.टी., डी.पी.एस., आर.के. पुरम, नयी दिल्ली का आभार व्यक्त करती है। परिषद्, सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया।

परिषद्, वीर सिंह आर्य, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार; दिनेश प्रताप सिंह, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, देहरादून, नरेंद्र डबास, लेक्चरर, एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा; दीपावली बधवार, लेक्चरर, एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा; रंजन कुमार चौधरी, पी.जी.टी., गवर्नमेंट सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खेड़ा डाबरा, दिल्ली एवं संगीता, पी.जी.टी., गवर्नमेंट सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, काजीपुर, दिल्ली का भी आभार व्यक्त करती है जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण के हेतु कार्यशालाओं में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

परिषद्, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी धन्यवाद देती है जिसने पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित मानचित्रों को प्रमाणित किया। परिषद् निम्न सभी व्यक्तियों एवं संगठनों का आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को सहज बनाने हेतु विभिन्न चित्र एवं अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई:-

एम.एच. कुरैशी, प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को चित्र 7.2 के लिए; सीमा माथुर, रीडर, श्री अरविंदो कॉलेज (सांध्यकालीन), नयी दिल्ली को चित्र 4.15 (क), 6.5 एवं पृष्ठ 1 पर चित्र के लिए; कृष्ण श्योराण को चित्र 4.13, 7.1 7.4, 7.15 के लिए; अर्जुन सिंह, छात्र, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय को चित्र 6.3 के लिए; नित्यानंद शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज, रोहतक को पृष्ठ 44 पर चित्र के लिए; स्वागता बासु, लेक्चरर, एस.एस.वी. (पी.जी) कॉलेज, हापुड़ को चित्र 7.17, 8.2 के लिए; ओडिल्या कोटिनहो, रीडर, आर.पी.डी. कॉलेज, बेलगाम को चित्र 6.4 के लिए; अभिमयु अब्रोल को चित्र 4.10 के लिए; समीरन बरूआ को चित्र 8.1 के लिए; श्वेता उप्पल, एन.सी.ई.आर.टी. को चित्र 5.2 (ख), 5.3 एवं 7.12 के लिए; वॉय.के. गुप्ता तथा आर.सी. दाश, एन.सी.ई.आर.टी. को चित्र 4.17 (क), 4.17 (ख) एवं पृष्ठ 54 पर चित्र के लिए; एन.सी.ई.आर.टी. के पुराने चित्रों के संकलन को चित्र 4.5, 4.9, 5.11, 5.15(ख), 5.18, 6.4, 6.5, 6.6, 8.8, 8.13, 9.5, 9.6 एवं पृष्ठ 1, 22, 39 एवं 70 पर चित्रों के लिए; आई.टी.डी.सी./पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को चित्र 4.1 एवं 5.2(ख) के लिए; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को चित्र 7.3 के लिए; विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय को चित्र 4.3 एवं 6.2 के लिए; टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली को पृष्ठ 57 पर समाचार के लिए; बिज़नेस स्टैंडर्ड को पृष्ठ 19 एवं 63 पर दिए गए समाचारों के लिए।

परिषद्, अनिल शर्मा एवं नरगिस इस्लाम डीटीपी ऑपरेटर; नेहाल अहमद, मनोज मोहन कॉपी एडीटर; उमेश सिंह गौड़, प्रूफ रीडर तथा दिनेश कुमार, कंप्यूटर इंचार्ज का भी पुस्तक को अंतिम रूप देने में सहायता करने के लिए आभार व्यक्त करती है। प्रकाशन विभाग एन.सी.ई.आर.टी. को पुस्तक के निर्माण में सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निम्नलिखित बिंदु इस पाठ्यपुस्तक में इस्तेमाल किए गए भारत के मानचित्रों के लिए लागू हैं

1. © भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2006
2. आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
3. समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
4. चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं।
5. इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अन्तर्राज्यीय सीमाएँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित हैं, परंतु अभी सत्यापित होनी हैं।
6. भारत की बाह्य सीमाएँ तथा समुद्र तटीय रेखाएँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख/प्रधान प्रति से मेल खाती हैं।
7. इस मानचित्र में उत्तरांचल एवं उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं बिहार और छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच की राज्य सीमाएँ संबंधित सरकारों द्वारा सत्यापित नहीं की गई हैं।
8. इस मानचित्र में दर्शित नामों का अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।



विषय सूची

आमुख	v
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	vii
इकाई-1	
अध्याय 1	
मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र	1-6
इकाई-2	
अध्याय 2	
विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि	7-12
अध्याय 3	
मानव विकास	13-20
इकाई-3	
अध्याय 4	
प्राथमिक क्रियाएँ	21-34
अध्याय 5	
द्वितीयक क्रियाएँ	35-43
अध्याय 6	
तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप	44-52
अध्याय 7	
परिवहन एवं संचार	53-69
अध्याय 8	
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	70-77
परिशिष्ट	78-80
शब्दावली	81-84



भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।